भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 393
दिनांक 22 जुलाई, 2026 / 31 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन

393. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पुलिस, न्यायिक अधिकारियों और अन्य प्रवर्तन कर्मियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं या क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों की संवर्ग/पद-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) इन कानूनों के कार्यान्वयन में सहायता हेतु स्थापित या उपलब्ध कराई गई अवसंरचना और डिजिटल प्रणालियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन कानूनों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नए आपराधिक कानूनों को अपनाने के पश्चात् 'भारत में अपराध' रिपोर्ट के आंकड़े पिछले वर्षों के आंकड़ों से तुलना योग्य बने रहें, और इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 दिनांक 1 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण देश में लागू हो गए हैं। राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इनके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रासंगिक अधिसूचनाओं एवं नियमों का निर्गमन, डिजिटल अनुप्रयोगों का अंगीकरण तथा हितधारकों की क्षमता-वृद्धि सम्मिलित है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 393, दिनांक 22.07.2026

(ख): पुलिस कर्मियों एवं अन्य राज्य-स्तरीय हितधारकों का प्रशिक्षण मुख्यतः संबंधित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने मास्टर प्रशिक्षकों एवं अन्य हितधारकों के लिए क्षमता-विकास कार्यक्रम एवं वेबिनार आयोजित किए हैं, जो सभी 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में संपन्न हुए। वर्ष 2024 से अब तक इस ब्यूरो ने आपराधिक न्याय प्रणाली के पाँच स्तंभों से संबंधित 83,740 अधिकारियों एवं हितधारकों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें मास्टर प्रशिक्षक भी सम्मिलित हैं। कैडर-वार /पद-वार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार तथा वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक -I में दिया गया है। मास्टर प्रशिक्षकों का उपयोग राज्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने-अपने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु भी किया गया है। ऐसे प्रशिक्षणों का विवरण अनुलग्नक -II में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कर्मयोगी मंच पर 110 आइजीओटी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 76 पाठ्यक्रम नए आपराधिक कानूनों से संबंधित हैं।

(ग): न्याय संहिताओं में आपराधिक न्याय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान किया गया है। इनके क्रियान्वयन हेतु डिजिटल प्रणालियाँ एवं अनुप्रयोग उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, समन का इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण एवं सेवा, तलाशी, ज़ब्ती एवं अन्वेषण कार्यवाहियों का ध्वनि-चित्र अभिलेखन, फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन का चित्रांकन, बयान का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखन, न्यायालयीन कार्यवाहियों का दूरसंचार माध्यम से संचालन, मेडिको लीगल एक्सामिनाशन एंड पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टिंग (मेडलैपर), पुलिस, न्यायालय, कारागार, अभियोजन एवं फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के मध्य दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान हेतु अंतःसंचालित आपराधिक न्याय प्रणाली सम्मिलित हैं। इन प्रणालियों का परिनियोजन एवं उपयोग संबंधित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

(घ): 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करना तथा अपराध एवं अपराधियों की जाँच एवं अभियोजन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की है और वे प्रचलित विधि प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं, जिसमें न्याय संहिताओं का क्रियान्वयन भी सम्मिलित है। तथापि, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी प्रयासों को पूरक करती है, जिनमें अंतःसंचालित आपराधिक न्याय प्रणाली 2.0, फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण हेतु योजनाएँ तथा निर्भया निधि द्वारा समर्थित परियोजनाएँ सम्मिलित हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 393, दिनांक 22.07.2026

(ङ): न्याय संहिताओं के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के आलोक में, अपराध संबंधी भारत रिपोर्ट में प्रकाशित आँकड़ों तथा पूर्व के वर्षो के आकंडो की निरंतरता, तुलनीयता एवं संगति सुनिश्चित करने हेतु आँकड़ा सारणियों के प्रारूपों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 393, दिनांक 22.07.2026

अनुलग्नक I

बीपीआरडी द्वारा प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या का विवरण

बाहरी इकाई (सीएपीटी/सीडीटीआई)	पाठ्यक्रमों / वेबिनार / सेमिनारों की संख्या	पुलिस		जेल अधिकारी		अभियोजन पक्ष		न्यायिक अधिकारी		फोरेंसिक विशेषज्ञ		कुल		सीएपीएफ/सीपीओ		अन्य	कुल योग
		राज्य	केन्द्र शासित प्रदेशों	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेशों	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेशों	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेशों	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेशों	राज्य	केन्द्र शासित प्रदेशों	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल	सीपीओ		
भोपाल	161	2383	64	1148	1	2830	180	4578	880	505	42	11444	1167	20	173	757	13561
चंडीगढ़	128	3230	1964	58	97	202	87	63	3	8	23	3561	2174	97	205	15181	21218
हैदराबाद	64	5290	932	586	8	792	4	93	0	1252	173	8013	1117	474	80	10478	20162
बेंगलुरु	3	278	13	0	0	0	0	0	0	0	0	278	13	9	0	0	300
जयपुर	76	8341	247	986	1	667	9	240	8	81	0	10315	265	22	93	659	11354
कोलकाता	112	2806	154	499	49	551	6	210	0	140	1	4206	210	950	652	618	6636
गाजियाबाद	78	7059	407	551	29	418	169	236	0	171	0	8435	605	745	519	205	10509
उप-योग	622	29387	3781	3828	185	5460	455	5420	891	2157	239	46252	5551	2317	1722	27898	83740

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 393, दिनांक 22.07.2026
अनुलग्नक II

न्याय संहिता के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्षमता निर्माण का विवरण

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पुलिस		कारागार		अभियोजन पक्ष		न्यायिक अधिकारी		फोरेंसिक विशेषज्ञ	
		उपलब्ध	प्रशिक्षित	उपलब्ध	प्रशिक्षित	उपलब्ध	प्रशिक्षित	उपलब्ध	प्रशिक्षित	उपलब्ध	प्रशिक्षित
राज्य											
1	आंध्र प्रदेश	56773	54764	1594	1594	400	400	574	574	131	131
2	अरुणाचल प्रदेश	12277	12277	128	128	100	100	39	32	8	8
3	असम	54474	54474	941	941	302	302	459	459	111	111
4	बिहार	48688	48688	3406	3310	811	811	1675	1675	126	125
5	छत्तीसगढ	36366	36366	1310	1310	269	269	492	492	56	56
6	गोवा	7680	7680	129	129	53	53	40	40	33	33
7	गुजरात	65863	65863	2094	2094	859	859	1157	1157	259	259
8	हरियाणा	53954	53954	2323	2123	900	790	555	555	78	78
9	हिमाचल प्रदेश	15504	13365	631	631	176	176	152	85	65	65
10	झारखंड	38292	29359	146	146	169	169	500	500	40	40
11	कर्नाटक	45324	44860	2666	1241	952	952	1137	1137	467	467
12	केरल	52808	48623	2031	2031	198	198	628	628	168	157
13	मध्य प्रदेश	87277	87277	5262	5262	1043	1043	1744	1744	137	137
14	महाराष्ट्र	180152	180152	4232	4232	1017	740	2285	2148	297	297
15	मणिपुर	40693	40693	437	437	42	42	48	48	22	22
16	मेघालय	3674	3674	159	159	245	245	55	55	12	12
17	मिजोरम	6229	6229	215	215	52	52	48	48	14	14
18	नागालैंड	18450	11819	1386	1386	20	20	20	20	38	38
19	ओडिशा	54222	54222	1877	1870	1256	1192	832	832	81	81
20	पंजाब	73885	51440	2237	2237	461	304	714	714	80	80
21	राजस्थान	95770	63112	3141	3141	953	953	1500	1312	271	271
22	सिक्किम	1816	1816	111	111	45	45	30	22	14	14
23	तमिलनाडु	100970	93075	3926	3926	320	320	1253	1253	230	230
24	तेलंगाना	53115	27747	1110	680	262	262	440	440	40	40
25	त्रिपुरा	21901	21901	323	323	125	125	107	107	29	29
26	उत्तराखंड	23131	23131	760	760	110	108	301	288	11	11

जारी...

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 393, दिनांक 22.07.2026

अनुलग्नक II

27	उत्तर प्रदेश	233969	221741	7088	7088	2235	2235	2689	2689	232	232
28	पश्चिम बंगाल	50339	41422	210	63	165	40	1105	600	51	51
संघ शासित प्रदेश											
1	अंडमान और निकोबार	4475	4475	61	61	15	15	11	11	18	18
2	चंडीगढ़	5926	5926	299	299	26	26	31	31	86	82
3	दमन और दीव दादरा और नगर हवेली	613	613	13	13	7	7	7	7		
4	दिल्ली	81775	81775	1817	1817	302	302	801	801	158	158
5	जम्मू और कश्मीर	74004	74004	845	712	261	261	286	286	33	33
6	लद्दाख	2345	2345	27	27	8	8	8	6	11	10
7	लक्षद्वीप	324	324	10	10	2	2	3	3	0	0
8	पुदुचेरी	3677	3677	81	81	20	20	26	26	16	16
कुल		1706735	1572863	53026	50588	14181	13446	21752	20825	3423	3406
